सार्वभौमिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय में दों पक्षकारों के मध्य निर्णय होता हैं जो दोनों ही पक्षकार उससे प्रभावित होते हैं। एवं एक निर्णय ऐसा होता है जो सर्वभौम के लिए लागू होता हैं जिसमें प्रकरण में पक्षकार हो या नही सभी पर लागू होता हैं। **क्या कोई किसी व्यक्ति का वैध उतराधिकार है या वारीस है** – उसके सम्बंध में पारित निर्णय व्यक्तिगत निर्णय नहीं हो सकता वह सार्वभौमिक निर्णय को परिभाषा में आता है एवं वह पूर्णतया सभी लोगों पर प्रभावित होता हैं एवं प्रकरण संख्या 58/67 रेवेन्यु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ का निर्णय दिनांक 01.08.1972 में पारीत तनकी संख्या 1 का निर्णय सार्वभौमिक निर्णय हैं। जिसमें वादी गोपीलाल भट्ट को श्री भूरालाल का वैधानिक वारीस नही मान गया। उक्त निर्णय में प्रतिवादीगण पक्षकार नही थे बावजूद उक्त निर्णय वादी गोपीलाल पर बन्धनकारी है। एवं न्यायालय पूर्व में पारीत निर्णय को पुनः सुनवायी कर उसके विपरीत निर्णय पारित नही कर सकती हैं। पूर्व का प्रकरण धारा 183 का होने या वर्तमान प्रकरण 88 – 188 का होने के सम्बन्ध में कोई फर्क नही पड़ता। प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 11 दिवानी प्रक्रिया स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

अतः प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 दिवानी प्रक्रिया स्वीकार किया जाकर वादी का वाद धारा 11 की परिभाषा प्राज्ञा न्याय (पूर्व न्याय) में आने से वादपत्र अन्तर्गत धारा **88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** खारिज किया जाता हैं। खर्चा पक्षकार अपना–अपना बहन करें। डिक्री मूर्तिब की जाकर पत्रावली दाखील दपतर हों।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned by CamScanner